प्रेस प्रकाशनी

संसद का शीतकालीन सत्र, 2015, जो गुरूवार, 26 नवंबर, 2015 को आरंभ हुआ था, बुधवार, 23 दिसंबर, 2015 को समाप्त हो गया। सत्र के दौरान 28 दिनों की अवधि में कुल 20 बैठकें हुईं।

2. शीतकालीन सत्र, 2015 26 दिसंबर, 2015 को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाते हुए और पहले दो दिन अर्थात 26 और 27 नवंबर, 2015 "डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की एक सौ पच्चीसवीं जयंती समारोह के भाग के रूप में भारत के संविधान के प्रति वचनबद्धता पर चर्चा" के लिए समर्पित करते हुए आरंभ हुआ। राज्य सभा में यह चर्चा 27 नवंबर से 1 दिसंबर, 2015 तक की गई।

3. सत्र के दौरान, लोक सभा द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (सामान्य) तथा वर्ष 2012-13 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान किया गया और इनसे संबंधित विनियोग विधेयकों को पारित किया गया। तत्पश्चात राज्य सभा द्वारा संबंधित विनियोग विधेयकों पर विचार किया गया और लौटाया गया।

4. लोक सभा में नियम 193 के अंतर्गत चार अल्पावधि चर्चाएं हुईं - (i) तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और देश के कुछ अन्य भागों में बाढ़ की स्थिति, (ii) देश में असहिष्णुता की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति, (iii) मूल्यवृद्धि (आंशिक चर्चा हुई) और (iv) देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति। राज्य सभा में नियम 176 के अंतर्गत पर तीन अल्पावधि चर्चाएं हुईं - (i) तमिलनाडु व आन्ध्र प्रदेश में उत्तरी-पश्चिमी मानसून की वर्षा और बाढ़ के कारण हुए नुकसान, (ii) नेपाल में स्थिति तथा भारत-नेपाल संबंधों की स्थिति और (iii) देश में बाढ़ और सूखे से उत्पन्न गंभीर स्थिति।

5. सत्र के दौरान, अत्यंत महत्वपूर्ण और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की सरकारी नीति पर बल देने वाले विधेयकों जैसे कि (i) विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2015; (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015; (iii) वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015; (iv) चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 2015; तथा (v) उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया।

6. सत्र के दौरान, 10 विधेयक (लोक सभा में 9 और राज्य सभा में 1) पुर:स्थापित किए गए। सत्र के दौरान लोक सभा में 14 विधेयक पारित किए गए और राज्य सभा में 9 विधेयक पारित किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा सत्र के दौरान पारित किए गए विधेयकों की कुल संख्या 9 है। लोक सभा की उत्पादिता लगभग 102% रही और राज्य सभा की लगभग 51%।

7. सत्र के दौरान पुर:स्थापित किए गए, विचार और पारित किए गए विधेयकों के नामों की सूची परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

लोक सभा और राज्य सभा - निष्पादित कार्य

I. लोक सभा

» **पुर:स्थापित किए गए विधेयक:**

1. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015
2. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015
3. बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2015
4. उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015
5. परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015
6. चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 2015
7. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2015
8. विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2015
9. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015

» **पारित किए गए विधेयक:**

1. विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2015
2. भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015
3. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015
4. भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2015
5. उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015
6. परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015
7. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2015
8. विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2015
9. चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 2015
10. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015
11. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015
12. राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015
13. बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2015
14. परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 (6.8.2015 को लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों को लोक सभा ने मान लिया)।

II. राज्य सभा

» पुर:स्थापित किए गए विधेयक:

1. राजेन्द्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2015

» पारित किए गए विधेयक:

1. परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में।
2. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2015
3. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2015
4. विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2015
5. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2015
6. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015
7. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015
8. परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015
9. बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2015

III. दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक

1. परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में।
2. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2015
3. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2015
4. विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2015
5. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2015
6. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015
7. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015
8. परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015
9. बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2015

****